भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *182

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

पीएम-इंटर्नशिप योजना के तहत रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन

***182. श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25 के लिए घोषित पीएमआईएस की रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना में नामांकित कंपनियों की सूची क्या है;

(ख) प्रत्येक कंपनी प्रशिक्षुओं की सेवाएं जिन उत्पादन/प्रचालनों में लेंगी, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना में प्रस्तावित अल्प अवधि के रोजगार से युवाओं को रोजगार गारंटी किस प्रकार मिलेगी?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन' के संबंध में 9 दिसंबर, 2024 को उतरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस/योजना) का उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह न तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है और न ही रोजगार प्रदान करने की योजना है। यह युवाओं को व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है, बदले में, उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, पीएम इंटर्नशिप योजना-पायलट परियोजना के दिशानिर्देशों में, जो www.pminternship.mca.gov.in में उपलब्ध हैं, यह स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप का प्रस्ताव मंत्रालय, या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के किसी भी अनुबंध या कानूनी संबंध को जन्म नहीं देगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप के ऐसे प्रस्ताव को इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या बाद में संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस योजना की शुरुआत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 03.10.2024 को 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने की लक्षित योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मंत्रालय ने शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्ष के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर की है। इनके अतिरिक्त, योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई अन्य कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान ऐसा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुमोदन से कर सकता है, जो उपर्युक्त 500 कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व वाले सेक्टरों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। भागीदार कंपनियों की सूची https://pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध है।

भागीदार कंपनियों की सूची में बड़ी संख्या में विमानन और रक्षा, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रसायन उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्र और बिक्री, लेखा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रक्रिया सहयोगी, विनिर्माण सहयोगी और संयंत्र संचालन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं शामिल हैं। पायलट चरण में, 25 क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश की गई है।

****